राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,राज0जयपुर

क्रमांकः– ई–12/एम/नियु0/2019/201 दिनांक 1-3-19

आदेश

निदेशालय द्वारा मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित समिति की अनुशंषा के आधार पर निम्नलिखित आश्रितों को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के पद पर उनके नाम के सम्मुख पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों के अधीन रिक्त पद पर किया जाता है । परिवीक्षा की कालावधि के दौरान निम्न आश्रितों को राज्य सरकार राजस्थान सिविल सेवा पुनरिक्षित वेतनमान वर्ष 2017 के परिपत्र क्रमांकः एफ.15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एंव 9.12.2017 के द्वारा नियत **12400/–** रूपये मासिक पारिश्रमिक संदत्त किया जावेगा। परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वार्ड बॉय /स्वीपर** के पद का नियमित वेतन **PAY MATRIX LEVEL- 1** में नियमानुसार अनुज्ञात किया जावेगा :–

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदक की जन्मतिथि	आवेदक की शैक्षणिक योग्यता	पद जिसपर नियुक्ति दी जा रही है	पदस्थापन स्थान
1	श्रीमति पायल परिहार पत्नि स्व0 श्री केशव सिंह परिहार, च0श्रै0कर्म0 निवासी– बी–23, प्रेमनगर, फायसागर रोड, अजमेर ।	05.04.1984	कक्षा–8 उत्तीर्ण	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अधीक्षक, जे.एल.एन. चिकित्सालय, अजमेर
2	श्री सोनू काठात पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह, नर्स–II, निवासी– ग्राम– सोबनिया, पोस्ट– दुर्गावास, वाया–. काबरा, तहसील– ब्यावर, जिला– अजमेर ।	04.07.2000	कक्षा–6 उत्तीर्ण	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सामु0 स्वा0 केन्द्र, आमेर जवाजा, जिला– अजमेर
3	श्री अर्जुन सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह, च0श्रै0कर्म0 निवासी– डेडाचक–तृतीय, तहसील– बालेसर, जिला– जोधपुर ।	01.01.1998	कक्षा–8 उत्तीर्ण	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शेरगढ, जिला– जोधपुर ।
4	श्री पप्पूलाल पुत्र स्व0 श्री शिवलाल हरिजन, स्वीपर निवासी– पोस्ट– देवली कलॉ, तहसील– रायपुर, जिला– पाली	01.01.1986	कक्षा–5 उत्तीर्ण	स्वीपर	प्रा0 स्वा0केन्द्र, पाटवा, जिला– पाली ।
5	श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 श्री सूरजमल शर्मा, स्वा0कार्यकर्ता निवासी– प्लाट नं.– 3, मालियों का मोहल्ला, ढहर का बाजाजी, सीकर रोड, जयपुर ।	28.11.1982	कक्षा–10 अनुतीर्ण	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	निदेशालय, मुख्यालय
6	श्री प्रताप बडेरा पुत्र स्व0 श्री देवजी, च0श्रै0कर्मचारी निवासी– मु.पो– ईसरवाला, निचली मोरडी, तहसील– गनोडा, जिला– बांसवाडा	12.10.1981	साक्षर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चन्दुजी का गढा, जिला– बांसवाडा ।

7	श्री कमलेश ताबियार पुत्र स्व0 श्री सूरज, च0श्रे0कर्म0 निवासी– गांव–मण्डेला पाडा, पोस्ट– बोरी, तहसील–गढी, बांसवाडा	12.02.1990	कक्षा– 8 उत्तीर्ण	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर, जिला– बांसवाडा ।
8	श्री प्रवीण निनामा पुत्र स्व0 श्री कान्ति, च0श्रै0 कर्मचारी, निवासी– गडियारापाडा, पोस्ट– लिमथान, तहसील व जिला– बांसवाडा	10.06.1993	कक्षा–6 उत्तीर्ण	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाडा ।
9	श्री राकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री महेश चन्द हरिजन, स्वीपर, निवासी– ग्राम– निसूरा, तहसील– ढोडाभीम, जिला– करौली ।	07.03.1990	कक्षा–6 उत्तीर्ण	स्वीपर	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, करौली ।
10	श्री रोहित कुमार पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप, च0श्रै0कर्म0 निवासी– जेल रोड बस स्टेण्ड, झालावाड	14.01.1995	कक्षा– 5 उत्तीर्ण	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अधीक्षक, झालावाड हॉस्पिटल एंव मेडिकल कॉलेज सोसायटी, झालावाड ।
11	श्री रवि सिंह सिकरवार पुत्र स्व0 श्री मदन सिंह राठौड, च0श्रे0कर्मचारी निवासी– त्यागी भवन, कसाईपाडा, पुराना शहर, धोलपुर ।	14.8.2000	कक्षा–8 उत्तीर्ण	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सामु0 स्वा0 केन्द्र मनिया, जिला– धोलपुर ।
12	श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड पुत्र स्व0 श्री मदन सिंह राठौड, च0श्रे0कर्मचारी निवासी– 262, हेमराज जी की गली, रावजी का हाटा, जिला– उदयपुर ।	13.10.1997	कक्षा– 8 उत्तीर्ण	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, हिरणमगरी, उदयपुर ।
13	श्री विशाल बंधु पुत्र स्व0 श्री समरथ लाल हरिजन, स्वीपर निवासी– धरियावाद, जिला– प्रतापगढ ।	03.08.1997	कक्षा–6 उत्तीर्ण	स्वीपर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धरियावाद, उदयपुर ।
14	श्री मांगीलाल हरिजन पुत्र स्व0 श्री गंगाराम हरिजन, स्वीपर निवासी– मु.पो.– आसपुर, तहसील व पं.स.–आसपुर, जिला– डूॅगरपुर	23.02.1982	साक्षर	स्वीपर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडोदा, जिला– डूॅगरपुर

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत **उक्त आवेदकों** को सरकारी सेवा में नवनियुक्ति पर प्रथम उपस्थिति के समय अपनी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा का शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उक्त आवेदको का नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं प्रागवृत्ति सत्यापन जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवायें । परन्तु नियुक्ति में प्रथम उपस्थिति के समय राजस्थान च0श्रे0 कर्मचारी सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत अपने चरित्र के संबंध में दो चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पूर्व के न हो, ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो इनके कोई रिश्तेदार न हो । इनके द्वारा कार्यग्रहण करते समय सम्बन्धित अधिकारी को अपनी जन्म तिथि,शैक्षणिक सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रादि प्रस्तुत करने होंगें। जिसकी जांच एवं संतुष्टि के उपरान्त ही सम्बन्धित अधिकारी इन्हें कर्त्तव्य पर लेंगे।

राज्य सरकार के मेमोरेण्डम संख्या एफ13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.1.04 एवं समसंख्यक मेमोरेण्डम दिनांक 27.3.04 के अन्तर्गत **उक्त आवेदको** पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प05(51)/कार्मिक/क–2/88 दिनांक 27.2.2001 के अन्तर्गत **उक्त आवेदक** अपने पारिवारिक सदस्यो का उचित तौर पर भरण पोषण करेंगे । नियुक्ति के तत्पश्चात किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो शासन की इस अधिसूचना के अन्तर्गत **उक्त आवेदको** के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

उक्त आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति के कम में संबंधित मु.चि.एंव स्वा.अधि./प्रमुख चिकि. अधि./निदेशक,आर.आर.सी./आवेदक द्वारा उपलबध करवाई गई सूचना में गलत तथ्य या विसंगति पाई गई तो यह अनुकम्पा नियुक्ति आदेश उस संबंधित आवेदन की सीमा तक प्रारम्भ से ही शुन्य होगा ।

आश्रितो को नियुक्ति दिये जाने का इन्द्राज मृतक की सेवा पुस्तिका में करें। इन्हें नियुक्ति आदेश प्रसारित होने की तिथि से **एक माह** की अवधि में कार्यग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा इस अवधि के पश्चात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे । इनके मूल आवेदन पत्रादि सम्बन्धित को प्रेषित किये जा रहे हैं, जिन्हें कर्मचारी की निजी पत्रावली में रखा जायेगा ।

उक्त नियुक्ति वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ.1(2)एफडी/नियम/06 दिनांक 13.3.06, कमांक एफ.16(2)एफडी/नियम/98 दिनांक 13.3.06 कमांक एफ012(6) एफडी/नियम/05 दिनांक 13.3.06 एवं कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र कमांक प0(1)कार्मिक/(क–2)/2016 दिनांक 15.07.16 के प्रावधानों से शासित होगी ।

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

कमांकः– ई–12/एम/नियु0/2019/ 201 दिनांकः– 1.3.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– निजी सचिव, मा0 चिकित्सा एंव स्वास्थ्य मंत्री/राज्यमंत्री, राज0 जयपुर ।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर ।
3– सुयक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राज0 जयपुर ।
4– संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर ।
5– वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय ।
6– संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जोन.............. ।
7– संबंधित अधीक्षक, चिकित्सालय................ /मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी................./ जिला प्रजनन् एंव शिशु स्वास्थ्य अधिकारी,.................... ./ चिकि0अधि0प्रभारी, सामु0 स्वा0केन्द/प्रा0स्वा0केन्द्र/राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय,................ / प्रको भेजकर लेख है कि **आवेदक** का पुलिस वैरीफिकेशन करवाने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराये। नोटः–सम्बन्धित के आवेदन पत्रादि संलग्न कर भिजवाये जा रहे है (रजिस्ट्रर्ड पत्र) ।
8– प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे ।
9– प्रभारी, सामान्य अनुभाग, मुख्यालय ।
10– **संबंधित आश्रित श्री................................**
11– आदेश/निजी पत्रावली।

अति0 निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।